न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू - 483 - III - 14

वक शर्मा । अभि० 1-2-14 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1/2/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

7-2-14

अमोल सिंह पुत्र कैलाश सिंह , निवासी ग्राम जरहा तह. सिरमौर वर्तमान तह. मनगमा जिला रीवा म. प्र. --- आवेदक

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह
2. वीरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र कैलाश सिंह

दोनो निवासी ग्राम जरहा तह. सिरमौर वर्तमान तह. मनगमा जिला रीवा म. प्र.

-- अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा. 1959 नये संशोधन अधि. 2011 विरुद्ध आदेश दिनांक 2.12.13 द्वारा पारित न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर सम्माननीय सदस्य श्री अशोक शिवहरे प्र. क्र. आर 1691 / 2 /2011 रीवा अमोल सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि के निर्णय से दुखी होकर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 483–तीन/2014 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–1–2015	आवेदक अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक केवीयेटकर्ता अभिभाषक श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण पूर्वाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अंतिम एवं विस्तृत आदेश पारित किया गया है। आवेदक अभिभाषक ने पुनर्विलोकन में उन्हीं आधारों को उठाया है जिनका निराकरण निगरानी प्रकरण में किया जा चुका है। पुनर्विलोकन में ग्राह्यता का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः यह पुनर्विलोकन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। (डा0 मधु खरे) सदस्य	16-1-15 P Singh Adv.